पत्रांक–वन भूमि–25 / 2017......................... / प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–..............................

विषय :– गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कुल–1.10 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कुल–1.10 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–C/F-17053/54-24R दिनांक–12.05.1954 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना में 1.10 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 202 है। वानस्पतिक घनत्व 0.2 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट एवं Geo-Referenced Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अपयोजित होने वाली भूमि प्राकृतिक वन भूमि है जिसके लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1.10 हे० गैर वन भूमि, गया जिला के बांकेबाजार प्रखंड अंतर्गत मौजा लुटुआ, थाना शेरघाटी, संख्या–249, खाता संख्या–331 एवं खेसरा संख्या– 1658 रकवा 1.10 हे० चिन्हित किया गया हे जो पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि पर वनीकरण कराने का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा तैयार की गयी है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं गैर वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.10 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 6,88,600/– (छः लाख अठासी हजार छः सौ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गया जिला के बांकेबाजार प्रखंड अंतर्गत मौजा लुटुआ, थाना शेरघाटी, संख्या–249 खाता संख्या–331 एवं खेसरा संख्या–1658 रकवा 1.10 हे० चिन्हित किया गया है जिस पर वनीकरण कराने का प्राक्कलन रूपये 12,94,761/–(बारह लाख चौरानवें हजार सात सौ इक्सठ रूपये) मात्र का तैयार किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– (छः सौ रूपये) मात्र प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलबध कराएगी।

प्रस्ताव की एक प्रति (मूल रूप में) संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–25/2017......................../प0व0, पटना–15, दिनांक....................................
प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांकः वन भूमि–25/2017 767(ई)/प0व0, पटना–15, दिनांक 15/09/17
प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं पार्ट–2 उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

15/9/17
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।